

प्रश्न सं. [क. 727]



**क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
17, भरतपुरी, उज्जैन**

☎ (0734) 2510984, e-mail: romppcb_ujjain@yahoo.co.in



विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 727
द्वारा माननीय विधायक डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

उत्तर

परिशिष्ट 'अ'

सर्विस स्टेशनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

स. क्र.	सर्विस स्टेशन का नाम एवं पता	की गई कार्यवाही की जानकारी (नोटिस/ क्लोजर/ न्यायलयीन वाद)
1	मेसर्स सांगोली सर्विस सेंटर इंगोरिया रोड नागदा जिला उज्जैन	सर्विस सेंटर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश कार्यालय के पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है।
2	मेसर्स सांवरिया सर्विस स्टेशन पारदी रोड मुल्लापुरा नागदा जिला उज्जैन	सर्विस सेंटर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश कार्यालय के पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है।
3	मेसर्स बालाजी सर्विस सेंटर दुर्गापुरा नागदा जिला उज्जैन	सर्विस सेंटर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश कार्यालय के पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है।
4	मेसर्स बाबा सर्विस सेंटर इंगोरिया रोड, नागदा जिला उज्जैन	सर्विस सेंटर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश कार्यालय के पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से जारी कर कार्यवाही की जा चुकी है। संस्था के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 39 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30.09.2019 को वाद भी दायर किया जा चुका है।
5	म. नेशनल सर्विस सेंटर नागदा जिला उज्जैन	संस्था के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 39 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30.09.2019 को वाद भी दायर किया जा चुका है।
6	म. राधा मदन मोहन सर्विस सेंटर नागदा जिला उज्जैन	संस्था के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 39 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30.09.2019 को वाद भी दायर किया जा चुका है।
7	मेसर्स आजाद सर्विस सेन्टर, नागदा जिला उज्जैन	निरीक्षण दिनांक 19.05.2026 एवं दिनांक 08.07.2026 को सर्विस सेंटर बंद पाया गया।
8	मेसर्स श्री गुरुकृपा सर्विस सेन्टर नागदा जिला उज्जैन	सर्विस सेंटर द्वारा सम्मति शर्तों का पालन किया जा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
प्रदूषण विभाग
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

विनय रमैया
सहायक यंत्री

आर.आर. भंवर
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उज्जैन (म.प्र.)